गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बुधवार को मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूजा कर रवाना किया। शोभायात्रा के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। इसमें चंद्रयान-3 की झांकी भी सजाई गई जिसे लोग देखते रहे।

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रमुख शिक्षा सचिव तलब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सात अक्टूबर को अदालत में रिकॉर्ड सहित हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि जिन स्कूलों में विशेष विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उन स्कूलों में विशेष शिक्षक नियुक्त करने के क्या प्रावधान है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश विशेष योग्यजन कल्याण और पुनर्वास समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को कहा कि केन्द्र सरकार के प्रावधानों के तहत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में विशेष शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए अलग से स्कूल स्थापित किए हैं, लेकिन वह काफी कम हैं। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हर स्कूल में विशेष शिक्षक लगाए जाए या हर इलाके में कम से कम एक विशेष स्कूल की स्थापना की जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिन सामान्य स्कूलों में कम से कम पांच विशेष योग्यजन विद्यार्थी हैं, वहां विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य विशेष विद्यार्थी के परिजन की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि सांगानेर तहसील में ऐसी अलग से कोई स्कूल नहीं है और ना ही इस क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षक नियुक्त हैं। राज्य सरकार की नीति के चलते यदि किसी स्कूल में पांच से कम विशेष विद्यार्थी हैं तो वहां विशेष शिक्षक नहीं है।

ऐसे में इन स्कूलों में ऐसे विद्यार्थियों का पढने का अधिकार का हनन हो रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित हाजिर होकर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है।

पहली बार प्रधानमंत्री की सभा की व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगी महिलाएं : भजनलाल

- ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा को मिले जन-आशीर्वाद के बल पर कह सकता हूं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी’
- नारी शक्ति वंदन बिल से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण और पीएम की सभा को लेकर प्रदेश की महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह : सौम्या गुर्जर

जयपुर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को प्रदेशभर में मिले जनसमर्थन और जनआशीर्वाद के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर के दादिया में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरूआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर से हुई थी। यह यात्रा प्रदेश के 47 विधानसभा क्षेत्रों में 1944 किलोमीटर चली। यात्रा का समापन कल मंगलवार को जयपुर के सभीविधानसभा क्षेत्रों जिसमें झोटवाड़ा, सांगानेर, सिविल लाईन्स, किशनपोल, विद्याधरनगर, हवामहल, आदर्श नगर विधानसभाओं से होते हुए मालवीय नगर विधानसभा के भाटिया भवन में हुआ।

प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा डूंगरपुर-बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम से शुरू हुई थी जिसका कल कोटा में समापन होगा। यह यात्रा प्रदेश के 52 विधानसभाओं में चलेगी जिसमें अभी तक 2382 किलोमीटर चल चुकी है। वहीं तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरूआत रामदेवरा जैसलमेर से हुई थी जो कि 51 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी और अभी तक 2423 किलोमीटर चल चुकी है, यात्रा का समापन कल जोधपुर में होगा। चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरूआत हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से हुई थी, यह यात्रा 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर अभी तक 1900 किलोमीटर चल चुकी है, यात्रा का समापन अलवर में होगा। चारों दिशाओं से निकली चारों परिवर्तन संकल्प यात्राएं कुल 10 हजार किलोमीटर चलेंगी।

शर्मा ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्राओं को लेकर प्रदेश की जनता के भीतर बेहद उत्साह और जोश देखने को मिला। जनता की जनसहभागिता के चलते यह यात्रा जन-जन की यात्रा बन गई। इस यात्रा में कुछ स्थानों पर मेरा भी जाना हुआ। जहां हमने देखा कि यात्रा के दौरान किसानों ने खेतों से महिलाओं ने घरों की छत से और बसों के ऊपर से यात्रा का अभिवादन किया। कांग्रेस की महाभ्रष्ट, युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला अत्याचारी और दलित अत्याचार करने वाली इस सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है।

जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आकर प्रदेश की जनता परिवर्तन का जनमानस बना चुकी है। कल देश के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का दिन था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल रखा।

जेएलएन मार्ग से अल्बर्ट हॉल की तरफ का रास्ता बड़े बड़े ट्रकों से बंद कर धनवंतरी के मुख्य द्वार के सामने से टोंक रोड की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया। कारण पूछने पर मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने बताया की अल्बर्ट हॉल की तरफ वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ते को डायवर्ट कर दिया गया है। इसके चलते लंबा जाम लग गया और धनवंतरी आउटडोर होने के चलते मरीज भी परेशान होते दिखे

खोया पाया

प्लाट न्बर-199, ओरिएंटल आर्केड, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर की मूल रजिस्ट्री एवं अन्य दस्तावेज कहीं खो गए हैं, मिलने पर सूचित करें, दिव्या मनवानी-8502906515

मेरी निजी खातेदारी की जमीन श्री कुशल नगर 94 का साइट प्लान सन् 2007 में जयपुर से मुंबई शिफ्ट होने के समय कहीं गुम हो गया। मिलने पर सूचित करे। 8769537382

मेरे प्लाट नं. 118, पदम विहार, शिवदासपुरा, जयपुर का मूल पट्टा, साईड प्लान, रसीद जो कि बाबा आर.एन. गौड सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। मुकेश कुमार 9694444115

मेरा मेडिकल फार्मेसी कॉन्सिल द्वारा जारी मूल रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर 64059 जो कि कुशाल सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह के नाम से जारी है कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। 9672611592

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल/ट्रिब्यूनल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 37355 जारी दिनांक 03.01.2012 कहीं खो गया है, जो इस समय मैसर्स संतोषि मेडिकल स्टोर ड्रग लाइसेंस संख्या JPR/2018/30931-34 पर अंकित था। मिलने पर उक्त पते गांव खोरा लाड खानी तह. शाहपुर जयपुर राज. पर पहुंचाने का श्रम करें। नाम एवं पता- मोहन लाल जाट

जेडीए द्वारा जारी पट्टा की योजना हनुमान वाटिका खेडा जगन्नाथ पुरा चाकसू जयपुर का विक्रय पत्र और जेडीए पट्टा जयपुर में कहीं खो गया है। सूचित करें। रविना बाई मीना- 9694535249

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मंजू अग्रवाल से बदल कर मंजू देवी अग्रवाल पत्नी बंशीधर अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे निवासी पी नं. 45, वार्ड नम्बर 6, विजय बाडी, काना राम नगर, ढेहर के बालाजी, जयपुर

शादी से पूर्व मेरा नाम खुरशीद बानो था अब मेरा नाम खुरशीद है। Khursheed खुरशीद हादी मंजिल 1625/26 कमेला गली, एम.डी. रोड, जयपुर

मैंने अपना नाम सोमनी देवी पत्नी सोमसिंह मीणा से बदलकर सोहनी देवी कर लिया है जो कि आधार कार्ड में अंकित है, भविष्य में मुझे सोहनी देवी के नाम से जाना जाए। पता- जालमपुरा, तहसील-जहाजपुर, जिला- शाहपुरा (भीलवाडा)

I Parvati devi legally wedded spouse of army no 14569378W rank CFN LT mohan lal Sharma R/O village alisar via kaladera teh.chomu district jaipur have changed my name From PARVATI DEVI (DOB 7/7/1967) is wrong entered in service record To PARWATI DEVI (DOB 1/1/1971) vide affidavit dated 18/9/23 before district notary chomu jaipur

I samdhar Kumari is legally wedded spouse of army no 6461142M Ex NK Late shambhu singh R/O plot 50 jeen mata nagar kalwar road harnath pura jhotwara Jaipur have changed my name From SAMDHAR KUMARI is wrong entered in service record To SAMNDAR KANWAR vide affidavit dated 14 sep 2023 before district notary Jaipur

I Tincy Kurian Wife of Army No 8038034P, Rank: NK (GD), Name: Sibin George, resident of House Name: Puthenpurackal, Vill: Koodaranchi, PO: Kakkadampoil, PS: Thiruvanpady, Teh: Kozhikode (Calicut), Dist: Kozhikode (Calicut), State: Kerala. PIN: 673604, Have Change My Name from TINCY SIBIN to TINCY KURIAN vide Affidavit No. BF824982 Date 14 Feb 2023.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1927 दिनांक-20.09.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 13/11 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 47.520 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री श्याम सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4387 दिनांक 27.02.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 6623 दिनांक 26.09.2006 के द्वारा श्री मनोहर लाल पुत्र श्री सुन्दर दास के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री मनोहर लाल की मृत्यु दिनांक 16.02.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्र/पुत्री श्री सुनील ढिंगरा पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल एवं श्वेता ढिंगरा पुत्री स्व. श्री मनोहर लाल ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री सुनील ढिंगरा एवं श्वेता ढिंगरा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

तीये की बैठक

हमारे प्रिय **श्री अमरनाथ शर्मा** पुत्र स्व. श्री हरिशंकर शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2023 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 21.09.2023 को सायं 4 से 4:45 तक नगर निगम पार्क, ब्रह्मपुरी थाने के पास, आमेर रोड, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- भगवान सहाय शर्मा (ससुर), भवानीशंकर शर्मा, विष्णु भारद्वाज, डॉ. चंद्रशेखर भारद्वाज एवं समस्त चूलीवाल तिवाडी परिवार। खोराश्यामदास वाले। 12, तालकटोरा जयपुर

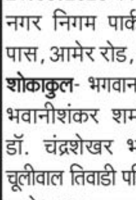

मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती शान्ति देवी** का स्वर्गवास 19.9.23 को हो गया। तीये की बैठक 21.9.23 गुरूवार को सायं 4-5 बजे पौण्ड्रक पार्क उद्यान, ब्रह्मपुरी टैक्सी स्टैण्ड, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- आनन्द शर्मा (पति), शान्ता देवी स्व. हनुमान (जेठ- जेठानी), महेश मीना, स्व. दिनेश- विमला, सुरेश- सुमन (पुत्र- पुत्रवधू), ईश्वर, सत्यनारायण (भतीजा), रवि, ऋषि, अभिषेक, हर्षवर्धन, कमल, मुकुन्द गौतम, जान्हवी (पौत्र- पौत्री), कृष्णा (पडपौत्र), दामोदरजी- स्व. शान्ति देवी, स्व. मोहनजी- चन्दादेवी, राधेश्यामजी- मुन्नीदेवी (ननद- ननदोई), बजरंगजी- हेमलता सतीशजी- सुनीता, तरूणजी- चेतना, बन्टीजी- मधु (पुत्री- दामाद), रोहित, युवराज, भव्या धीरज, (दोहिता- दोहिती) समस्त काट्या तिवाडी गोत्तम परिवार।
9314883555, 9680033351

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

करोना से अनाथ बच्चों को मिलेंगी सरकारी नौकरियां

- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी
- राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी मंजूर

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत एवं शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे सम्बधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय उर्जा एवं सौर उर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइडोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है।

बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में सीएचए को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से बोनस अंकों का लाभ देने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पवन कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल में सीएचए के पद पर अन्य नर्सिंग स्टाफ के साथ काम किया था। इसके बावजूद भी भरतपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके अनुभव प्रमाण पत्र में उन्हें नर्सिंग स्टाफ के समान कार्य करना नहीं बताया। जिसके चलते नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के तहत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि दूसरे कई जिलों में सीएचए का काम करने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। याचिका में गुहार की गई है कि याचिकाकर्ताओं को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंकों का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से बोनस अंकों का लाभ देने को कहा है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्योचन्द भडिया पुत्र पेमाराम एवं श्रीमती सुमन देवी पत्नि श्योचन्द भडिया, निवासी 42, गणेश कालोनी, खातीपुरा, जयपुर का पुत्र शुभम् भडिया गलत संगत में पड गया और मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है इसलिए मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र शुभम् भडिया को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है, कोई भी व्यक्ति या संस्था शुभम् भडिया से व्यवहार करते है तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। शुभम् भडिया का मेरे अभिभाष्यगण से कोई लेना देना नहीं है।
जयपुर (सुरेश मिठारवाल) एडवोकेट
दिनांक-20.09.2023 मो.नं. 9414062160

आम सूचना
हर आम व खास को सूचित किया जाता है, कि मेरे द्वारा मेरा पुत्र मोहम्मद जाहिद को दिनांक 06.06.2014 को मैनें मेरी चल- अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था, लेकिन अब उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है, जोकि मेरे द्वारा आम सूचना दिनांक 06.06.2014 दैनिक नवज्योति में दी गई विज्ञप्ति आज दिनांक 21.09.2023 से निरस्त समझी व मानी जावे।
भवदीय
(अब्दुल लतीफ) वल्द छोटे खां
नि. म.नं. 3637. बाबू का टीबा,
चौ.तोपखाना हूज़ूरी, रामगंज, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1909 दिनांक-18.09.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 72/151 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 72.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नरोत्तम लाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2290 दिनांक 08.12.1998 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 3191 दिनांक 22.01.1999 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.02.1999 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 21.07.2007 के द्वारा श्री सुधीर झा पुत्र श्री सदानन्द झा के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री सुधीर कुमार झा की मृत्यु दिनांक 11.02.2015 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री प्रदीप कुमार झा पुत्र स्व. श्री सुधीर कुमार झा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री प्रदीप कुमार झा पुत्र स्व. श्री सुधीर कुमार झा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 21/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम राम मोहन शर्मा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल जाति ब्राह्मण विवाद स्थान 35, सुमेर नगर एफ ब्लॉक मुहाना रोड, मानसरोवर, जयपुर
मृतक स्व. श्री गणपत लाल शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 6.09.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्री गणपत लाल शर्मा उर्फ गणपत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सांगानेर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26 माह 09 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 08 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1913 दिनांक-18.09.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 71/296 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 14.25 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री सुधीर कुमार झा पुत्र श्री सदानन्द झा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 8266 दिनांक 9.03.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 9.03.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री सुधीर कुमार झा की मृत्यु दिनांक 11.02.2015 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री प्रदीप कुमार झा पुत्र स्व. श्री सुधीर कुमार झा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री प्रदीप कुमार झा पुत्र स्व. श्री सुधीर कुमार झा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
खुली ई-निविदा सूचना
व.मं.बि.इंजी. (टीआरडी), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। (1) **निविदा संख्या:** ईएल-टीआरडी-जेपी-2023-24-04 **कार्य का नाम:** एनुअल मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट ऑफ कमिन्स मेक इन्जन्स ऑफ 07 नंबर्स 08 व्हीलर टॉवर वैगन्स ऑवर जयपुर डिविजन फार पीरीयड ऑफ थ्री ईयर्स। **अनुमानित लागत:** ₹ 3,49,77,967.00/- **बिड सिक्युरिटी राशि:** ₹ 3,24,900/- **निविदा खोलने की तिथि:** 12.10.2023 **नोट: ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक, **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद, **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पता:** http://www.ireps.gov.in 1008-DP/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-टेण्डर निविदा सूचना (दोहरी पैकेट)
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-तृतीय, उ. प. रेलवे, जयपुर द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई-निविदा दो चरणों वाली रिवर्स नीलामी का ऑनलाइन ई-टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। निविदाकार अपना मूल/परिवर्तित प्रस्ताव ई-निविदा बंद होने की तारीख व समय से पूर्व ऑनलाइन भर दें। (1) **ई-टेण्डर नोटिस संख्या:** एनडब्ल्यूआर/एससी/सिविल-13641931-R (2) **कार्य का नाम व लोकेशन:** खातीपुरा में कोच केयर कॉम्प्लेक्स (फेज़-II) हेतु कंपोजिट वर्क्स (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल) जिसमें औद्योगिक शेड का निर्माण, अन्य सहायक भवन, पिट लाइन ट्रैक कार्य, ड्रेनेज सिस्टम, विद्युतीकरण और रोशनी का काम, नए विकसित करने के संबंध में निर्दिष्ट मैकेनिकल मशीनरी और प्लांट (ईओटी क्रेन आदि) की खरीद और कमीशनिंग और अन्य विविध कार्य शामिल है। (3) **अनुमानित लागत:** ₹125,55,07,151.49/- (4) **धरोहर राशि:** ₹64,27,600/- (5) **कार्य पूरा होने की अवधि:** 18 (अठारह) माह (6) **ई-टेण्डर भरने की अंतिम तिथि और समय:** 11/10/2023 को 15.00 बजे तक (7) **पूर्व बीड मीटिंग की तारीख, समय व स्थान:** 21/09/2023 at 11.15 बजे, जगतपुरा रेलवे फाटक के पास रेल निर्माण भवन के कांफ्रेंस हॉल में, जगतपुरा, जयपुर-302017 (8) **वेबसाइट का विवरण:** www.ireps.gov.in **नोट:** (1) कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। सम्बंधित पूछताछ 22/09/2023 को 15:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। 1009-DP/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1920 दिनांक-20.09.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 71/305 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 142.25 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती रश्मि शर्मा एवं श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 7873 दिनांक 24.03.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.05.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 12.11.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी स्व. श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी स्व. श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-ऑक्शन आमंत्रित करने की सूचना
No.: Comml/E-auction/Catering/2023/59, दिनांकः 19.09.2023, उक्त के सन्दर्भ में स्टेशन पर कैटरिंग के ठेके हेतु ई-ऑक्शन आमंत्रित की गई है। कैटलॉग IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। (1) **कार्य का नाम:** जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कैटरिंग के ठेके हेतु ई-ऑक्शन। (2) **कार्य की अवधि:** कैटरिंग : 5 वर्ष (3) **लॉट के ई-ऑक्शन प्रारंभ की तिथि व समय:** CATERING UNITS: (1) CATG-JU-09-23 दिनांक 04.10.2023 को 11:00 बजे से (2) CATG-JU-10-23 दिनांक 05.10.2023 को 11:00 बजे से (4) **वेबसाइट जहाँ से लॉट वाइज ई-ऑक्शन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है:** www.ireps.gov.in 1006-DP/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

राजस्थान-सरकार
न्यायालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर (शहर)
कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर फोन : 2200836

क्रमांक: फा. 99(41)उरज/शहर/समिति/धारा- 99/दी राजलक्ष्मी महिला यूसीबी/2020/3161-64 दिनांक: 24.03.2021
1. श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा, ऋणी सदस्य
2. श्री अजय शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सहऋणी सदस्य निवासी-प्लॉट नं. 68, मोहन मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर
3. श्री रमेश बंसल पुत्र श्री रामचरण बंसल, जमानतदार
निवासी- 229, नियर बालाजी इंजीनियर कॉलेज, गणेश नगर, जयपुर।
4. श्री हरिश पुत्र श्री भगवान दास, जमानतदार
निवासी - डी-11, विद्याधर नगर, जयपुर

आदेश
(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के अधीन)
दी राजलक्ष्मी महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., के आवेदन के अनुसार सोसायटी के उपर्युक्त दोषी ऋणी व सहऋणी सदस्यों मे बैंक का बकाया ऋण मूल रूपये 13,22,652.00/- एवं. ब्याज + चार्जेज रूपये 14,83,677.00/- कुल राशि 28,06,329.00/- (दिनांक 28.02.2021 तक) एवं भविष्य मे जब तक मूल राशि पूरी वसूल न हो पावे तब तक मूल राशि पर 17 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके अनुक्रम में प्रकरण में दोषी ऋणी व सहऋणी सदस्यों तथा जमानतदारो को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के अंतर्गत नोटिस क्रमांक फा. 99 ( ) उरज / शहर / समिति / धारा - 99 / दी राजलक्ष्मी महिला यूसीबी /2020/36-40 दिनांक 06-01-2021 को जारी किया गया था | बैंक का पत्र दिनांक 08.12. 2020 के अनुसार आवेदक बैंक द्वारा ऋणी सदस्या श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा, व अन्य को नोटिस दिनांक 08.01.2021 को रजिस्टर्ड पोस्ट करवाया गया था, लेकिन दोषी ऋणी सदस्यों द्वारा प्रकरण मे बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई। इसलिए आवेदक बैंक द्वारा प्रकरण में धारा 99 के अंतर्गत आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है। अत: मै, देशराज यादव, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, जयपुर (शहर), वसूली अधिकारी, राजस्थान सहकारी समितिया अधिनियम 2001 की धारा 99 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में आदेश देता हूँ कि ऋणी व सहऋणी सदस्य बैंक को बकाया ऋण के मूल रूपये 13,22,652.00/- एवं ब्याज + चार्जेज रूपये 14,83,677.00/- कुल राशि 28,06,329.00/- (दिनांक 28.02.2021 तक) एवं भविष्य मे जब तक मूल राशि का भुगतान न हो जावे तब तक बकाया कुल राशि पर तय वार्षिक दर से ब्याज बैंक को चुकावे। यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।
(देशराज यादव) उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी-सरदीप राठौड, संपर्क नम्बर-9887772255 ई-मेल आईडी-sardeep.rathore@idfcbank.com
IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना/एतद द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणग्रहिता (ओं) व जमानती (यों) को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियाँ सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा आईडीएफसी बैंक लि. अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 27.10.2023 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है यह हैं" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड) के खाता संख्या 10946375, 15723037 में 14.04.2021 को बकाया रुपये 35,27,266.29/- की पंकज झंवर, विष्णू दत्त झंवर, पंकज झंवर (पी वी इण्डस्ट्रीज) ऋण ग्रहिता (ओ), सह ऋण ग्रहिता (ओं) से वसूली के लिये की जायेगी।

ऑक्शन स्टेट्स

आरक्षित मूल्य	रुपये-3,135,000/-
बयाना राशि जो जमा होगी	रुपये-3,13,500/-
बोली प्रस्तुत करने / बयाना राशि जमा कराने की तिथि	26.10.2023 को सायं 5.00 तक
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	20.10.2023 प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक
नीलामी की तिथि	27.10.2023 प्रातः 11.00 से दिन में 1.00 तक
सम्पत्ति का विवरण	फ्लैट नं. एस-2, क्षेत्रफल 1100 वर्गफिट, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 4/216, स्कीम चित्रकूट, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये निम्न है पूर्व-सरकारी रोड 9 मीटर चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. 225, उत्तर-प्लाट नं. 217, दक्षिण-प्लाट नं. 215

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक को देखें अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC
अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।
स्थान - जयपुर
दिनांक- 20.09.2023
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)